न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री कन्हैयालाल स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 191/2016

1. गुरबचनसिंह
2. लालराम

पिसरान ठाकरराम जाति बावरी निवासी कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर। ——अपीलार्थीगण

बनाम

1. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर।
2. रामसिंह पुत्र जुमाराम जाति बावरी निवासी कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. सतनामसिंह पुत्र जुमाराम जाति बावरी निवासी कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. जंगीर कौर पुत्री जुमाराम पत्नी कालासिंह जाति बावरी निवासी जवाएवाला तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
5. नसीब कौर पुत्री जुमाराम पत्नी डुक्कन जाति बावरी निवासी अहमदपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
6. किशनोबाई पत्नी ठाकरराम जाति बावरी निवासी कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
7. सीतोबाई पुत्री ठाकरराम पत्नी जगराम जाति बाबरी निवासी बज्जू जिला बीकानेर।
8. रज्जोबाई पुत्री ठाकरराम पत्नी अमरजीतसिंह जाति बाबरी निवासी 9 टी.के. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
9. प्रतापकौर पुत्री ठाकरराम पत्नी नारायणसिंह जाति बाबरी निवासी 9 टी.के. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर। ——रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू–राजस्व अधि. 1956

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर दिनांक 24.09.2012

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

उपस्थिति :–

श्री गुरप्रीतसिंह अभिभाषक अपीलार्थी

श्री महावीर धारणियां राजकीय अधिवक्ता

श्री राजकुमार नागपाल अभिभाषक रेस्पों. सं. 2 व 3

निर्णय दिनांकः 03.12.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलांट द्वारा यह अपील उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा जारी सनद क्रमांक 189 दिनांक 24.09.2012 के विरूद्ध पेश की है। उक्त आदेश के द्वारा चक 4 पी. बडी के मु.नं. 39 के कि. नं. 1 से 25 की सनद आवंटी देवाराम, रामकौर, राम, कुम्भाराम, ठाकरराम के नाम से जारी की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन अपीलांट को बिना सुने पारित किया गया है। देवाराम का देहान्त सनद जारी होने से पूर्व ही हो चुका था एवं उसकी पत्नी व मां का भी देहान्त हो चुका था। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर, बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया है कि सनद परिवार के सदस्यों के नाम से सही जारी हुई है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलांट द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 24.09.2012 के विरूद्ध दिनांक 23.08.2016 को पेश की है जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये हैं उनका खण्डन रेस्पों. द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

प्रत्युत्तर मय शपथ पत्र पेश कर नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपीलांट का मुख्य तर्क यह रहा है कि अपीलाधीन आदेश देवाराम की मृत्यु के पश्चात पारित किया गया है। इस सम्बन्ध में अपीलांट द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत कोनी द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 06.4.1984 में यह उल्लेख है कि देवाराम का देहान्त अरसा तीन माह पहले व झण्डो करीब बीस साल पहले फौत हो चुकी है। इस प्रकार स्पष्ट है कि जिस दिन अपीलाधीन आदेश पारित किया गया उस दिन देवाराम जीवित नहीं था। प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.09.2012 निरस्त कर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधी. न्यायालय को रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण में सभी सम्बन्धित पक्षकारों को पक्षकार बनाते हुए विधि अनुसार पुनः निर्णय पारित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 03.12.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

3/12/18

(कन्हैयालाल स्वामी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर